

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/12391-420

दिनांक :- 17 जुलाई 2013

आदेश संख्या 163 / 2013-14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद्वारा राज. अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रुपये 11100/- (ग्यारह हजार एक सौ रुपये) प्रतिमाह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे उनके नाम के सामने अंकित विभाग/ कार्यालय में दिनांक 01 अगस्त, 2013 तक अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से देकर इस विभाग को सूचित करेंगे अन्यथा उक्त तिथि के बाद उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

क. स.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	गृह जिला	श्रेणी	विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	98/11	501106	नरेश कुमार राठौड़/घनश्याम राठौड़, ग्राम डाबी जिला बून्दी-323022	04.03.1984	बून्दी	OBC	कार्यालय उपकोषाधिकारी, उप कोषालय छबड़ा जिला बारां	रिक्त पद पर
2.	105/11	300678	जेठमल सोलंकी/किशन लाल सोलंकी, दर्जियों की बड़ी गुवाड, महादेव मन्दिर के पास बीकानेर-334005	06.02.1975	बीकानेर	OBC	कार्यालय उपकोषाधिकारी, उप कोषालय फतेहगढ़ जिला जैसलमेर	रिक्त पद पर
3.	141/11	602454	मनोहर लाल टेलर/ बनवारी लाल टेलर, म.नं. 21 'सी' ब्लॉक मीरा नगर, यू0आई0टी कॉलोनी भुवाणा, उदयपुर-313001	01.05.1971	झुन्झुनू	OBC	कार्यालय उपकोषाधिकारी, उप कोषालय सराडा जिला उदयपुर	रिक्त पद पर
4.	236/11	402543	राजेश मालवीय/सत्यराम मालवीय बी-10-बी, वर्द्धमान कॉलोनी, गोल्फ कोर्स रोड एयरफोर्स एरिया, जोधपुर-342011	01/11/1977	जोधपुर	OBC	कार्यालय उपकोषाधिकारी, उप कोषालय सुमेरपुर जिला पाली	रिक्त पद पर
5.	265/11	201891	विजय पाल सिंह/भगवान सिंह, ग्रा0पो0 सी0ही, तहसील कुम्हेर वाया नदबई, जिला भरतपुर-321602	14.08.1972	भरतपुर	OBC	कार्यालय उपकोषाधिकारी, उप कोषालय बाडी जिला धौलपुर	रिक्त पद पर
6.	283/11	700449	ज्ञान सिंह नैनावत /रामचन्द्र मोन0 57, ज्योती नगर, 200 फुट रोड, एन.ई.बी. के पीछे, अलवर	01.07.1971	अलवर	SC	कार्यालय उपकोषाधिकारी, उप कोषालय नाथद्वारा जिला राजसमन्द	रिक्त पद पर
7.	285/11	303447	राधेश्याम/हंसराज, वी.पी.ओ.-6, एल.एन.पी. (कुण्डलावाला) श्रीगंगानगर-335002	16.02.1978	श्रीगंगानगर	OBC	कार्यालय उपकोषाधिकारी, उप कोषालय पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़	रिक्त पद पर
8.	393/11	709629	राजेश कुमार सोनी/ओमप्रकाश सोनी, चौपड़ बाजार, रामगढ़ जिला अलवर-301026	11.02.1984	अलवर	OBC	कार्यालय उपकोषाधिकारी, उप कोषालय पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़	रिक्त पद पर

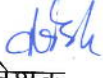
उपरोक्त अभ्यर्थियों की लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जा रही है:-

- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन होगी।
- यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण-पत्र की शर्त पर है।
- अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।
- अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
- इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।

8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. उक्त नियुक्तियों माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।


निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/12391-420

दिनांक :- 17 जुलाई 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

..... को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था कराये।

4. श्री..... को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने अंकित कालम संख्या 8 में दिनांक 01 अगस्त, 2013 तक आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक
7. गोपनीय शाखा
8. रक्षित/निजी पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)